संचयन

भाग 1

कक्षा 9 के लिए हिंदी 'ब' (द्वितीय भाषा)
की पूरक पाठ्यपुस्तक

© NCERT
not to be republished

0958

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण
अप्रैल 2006 चैत्र 1928

पुनर्मुद्रण
जनवरी 2007 पौष 1928
नवंबर 2007 आश्विन 1929
जनवरी 2009 माघ 1930
दिसंबर 2009 पौष 1931
जनवरी 2011 माघ 1932
जनवरी 2012 माघ 1933
अक्तूबर 2012 आश्विन 1934
जनवरी 2014 पौष 1935
दिसंबर 2014 पौष 1936
दिसंबर 2015 अग्रहायण 1937
दिसंबर 2016 पौष 1938
दिसंबर 2017 अग्रहायण 1939
दिसंबर 2018 अग्रहायण 1940
अगस्त 2019 भाद्रपद 1941

PD 360T RPS

© *राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2006*

₹ 30.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा न्यू भारत ऑफ़सेट प्रिंटर्स, बी-16, सेक्टर-6, नोएडा- 201 301 उत्तर प्रदेश द्वारा मुद्रित।

ISBN : 81-7450-557-1

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन सी ई आर टी के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फोन : 011-26562708

108, 100 फीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बैंगलुरु 560 085 फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहटी
कोलकाता 700 114 फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगांव
गुवाहाटी 781021 फोन : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: *एम. सिराज अनवर*
मुख्य संपादक	: *श्वेता उप्पल*
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: *अरुण चितकारा*
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: *बिबाष कुमार दास*
सहायक संपादक	: *मुन्नी लाल*
सहायक उत्पादन अधिकारी	: *दीपक जैसवाल*

चित्रांकन
कल्लोल मजूमदार

आवरण
अरविंदर चावला

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सकेंगे। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत

© NCERT not to be republished

दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति, भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफ़ेसर नामवर सिंह और पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। परिषद पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों के योगदान और उसे संभव बनाने के लिए उनके प्राचार्यों, तथा उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ है जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में उदारतापूर्वक सहयोग दिया। परिषद् माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के द्वारा नामित अशोक बाजपेयी और सत्यप्रकाश मिश्र को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देती है। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

नयी दिल्ली — राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और

20 दिसंबर 2005 — प्रशिक्षण परिषद्

© NCERT not to be republished

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, *पूर्व अध्यक्ष,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, *पूर्व प्रोफ़ेसर,* भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, *पूर्व प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

सदस्य समन्वयक

स्नेहलता प्रसाद, *पूर्व प्रोफ़ेसर,* भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली

© NCERT not to be republished

आभार

परिषद् इस पुस्तक के निर्माण एवं विकास में सहयोग के लिए प्रदीप जैन, *वरिष्ठ अध्यापक*, मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड, नयी दिल्ली और लक्ष्मी मुकुंद, *वरिष्ठ अध्यापिका*, डी.टी.ई.ए. स्कूल, आर.के. पुरम, सैक्टर–4, नयी दिल्ली के प्रति आभार व्यक्त करती है।

परिषद् के. विक्रम सिंह, मधुकर उपाध्याय की आभारी है जिन्होंने अपनी रचनाओं को पुस्तक में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की। परिषद् उन रचनाकारों के परिजनों/संस्थानों/प्रकाशकों के प्रति भी आभारी है जिन्होंने इन रचनाओं को प्रकाशित करने की अनुमति दी—महादेवी वर्मा की रचना 'गिल्लू', श्रीराम शर्मा की रचना 'स्मृति', धर्मवीर भारती की रचना 'मेरा छोटा–सा निजी पुस्तकालय', एस.के. पोट्टेकाट की रचना 'हामिद खाँ'।

पुस्तक निर्माण संबंधी तकनीकी सहयोग के लिये जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया परिषद् उनकी आभारी है।

© NCERT not to be republished

भूमिका

कक्षा 9 हिंदी 'ब' पाठ्यक्रम के लिए पूरक पाठ्यपुस्तक के निर्माण में विद्यार्थियों की पूर्वार्जित भाषा योग्यता, बौद्धिक क्षमता एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए यह प्रयास किया गया है कि इसके माध्यम से वे विभिन्न साहित्यिक विधाओं की विशेषताओं से परिचित हों और उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी विकसित हो। यह भी प्रयत्न किया गया है कि जो साहित्यिक विधाएँ नवीं कक्षा की मुख्य पाठ्यपुस्तक **स्पर्श भाग 1** में सम्मिलित नहीं हो पाई हैं, वे इस पूरक पठन की पुस्तक **संचयन भाग 1** में आ जाएँ। इस दृष्टि से इस पुस्तक में कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और अनूदित रचना आदि को स्थान दिया गया है। इनके अध्ययन से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी इन विविध विधाओं की शैलीगत विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।

आज देश में संप्रदायवाद और असहिष्णुता की प्रवृत्ति के कारण हम भारतीय जीवन-मूल्यों तथा अपनी समन्वयवादी सामासिक संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। समुचित साहित्य की शिक्षा इस प्रवृत्ति को दूर करने और विद्यार्थियों में राष्ट्र के प्रति स्वस्थ अभिरुचि विकसित करने में एक प्रेरक साधन बन सकती है। इस दृष्टि से पाठ्य-सामग्री के चयन और संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को केंद्र में रखा गया है:

पठन-सामग्री ऐसी हो जिसके माध्यम से विद्यार्थी लोक-परंपरा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज आदि के क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित हों और उसके प्रति उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो।

विधागत पाठ्य-सामग्री के चयन में रोचकता और विविधता का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

पठन–सामग्री के बोधन की दिशा में अध्यापक एवं विद्यार्थियों को स्पष्ट दृष्टि देने के विचार से प्रत्येक पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ नीचे फुटनोट में दे दिए गए हैं जिससे पाठ को पढ़ते समय अर्थ ग्रहण में कठिनाई न हो तथा प्रत्येक पाठ के अंत में बोध–प्रश्न भी दे दिए गए हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से न केवल विद्यार्थियों के बोध का मूल्यांकन हो सकेगा, बल्कि पाठ में निहित विविध शैक्षणिक बिंदु भी उभरकर सामने आ सकेंगे।

प्रस्तुत पुस्तक में सम्मिलित रचनाओं की कतिपय विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

गिल्लू : महादेवी वर्मा द्वारा लिखित 'मेरा परिवार' में से चयनित 'गिल्लू' एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। इस रचना के माध्यम से पशु–पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ–साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन और उनसे सद्व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु–पक्षियों को स्वच्छंद और मुक्त रख उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है।

स्मृति : इसमें लेखक ने बाल्यावस्था की एक घटना का सजीव चित्रांकन किया है। इस कहानी का घटनाक्रम इतनी रोमांचक शैली में लिखा गया है कि प्रत्येक क्षण, परिस्थिति की गंभीरता और सामने आए खतरे का वर्णन पाठक के कौतूहल को आदि से अंत तक बनाए रखता है। बच्चों की सहज जिज्ञासा एवं क्रीड़ा कैसे कभी–कभी उन्हें कठिन एवं जोखिमपूर्ण निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा करती है, इसका बहुत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया गया है।

कल्लू कुम्हार की उनाकोटी : 'कल्लू कुम्हार की उनाकोटी' के. विक्रम सिंह का एक यात्रा वृत्तांत है। एक टी.वी. कार्यक्रम की शूटिंग करने पहुँचे लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा करते हुए वहाँ की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, वहाँ के जनजातीय समाज, संगीत, वाद्य यंत्र, घरेलू उद्योग–धंधे, आधुनिक कृषि परंपरा, धार्मिक रीतिरिवाज़ और मान्यताओं का वर्णन संक्षिप्त परंतु अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है।

© NCERT not to be republished

मेरा छोटा-सा निजी पुस्तकालय : लेखक द्वारा इस आत्मकथात्मक अंश में अपना पुस्तकों के प्रति प्रेम और लगाव अभिव्यक्त किया गया है। लेखक के बचपन में उनके यहाँ इतनी पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ आती थीं कि उन्हें बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक लग गया था। लेखक को अपनी लाइब्रेरी बनाने की प्रेरणा कैसे मिली और कब उन्होंने अपनी पहली निजी पुस्तक खरीदी, इसका वर्णन पाठकों को पुस्तक पढ़ने और उन्हें सहेजकर रखने के लिए प्रेरित करता है।

हामिद खाँ : प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बड़ी सहजता से हिंदू और मुसलमान दोनों के हृदय में धड़कती सहृदयता एवं एकता की भावना को अभिव्यक्त किया है। लेखक की पंथ निरपेक्ष मानवीय भावना तक्षशिला निवासी हामिद खाँ के हृदय को स्पर्श करती है और उन दोनों में कैसे परस्पर एक सौहार्दपूर्ण आत्मीय संबंध स्थापित हो जाता है का मार्मिक वर्णन इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है।

दिये जल उठे : महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पर आधारित 'धुँधले पदचिह्न' नामक रचना से यह अंश लिया गया है। इसमें 19 मार्च 1930 के दिन घटी घटनाओं का वर्णन करते हुए 'रास' में पटेल की गिरफ़्तारी तथा गांधीजी की दांडी यात्रा संबंधी वर्णन है। घनी अँधेरी रात में गांधीजी को नाव से मही सागर पार कराने के लिए लोगों ने क्या किया, इसका अद्भुत वर्णन पाठक को हतप्रभ कर देता है। पाठ का यह अंश अत्यंत रोचक बन पड़ा है।

आशा है यह पुस्तक विद्यार्थियों को रुचिकर लगेगी और उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ाने के साथ-साथ विभिन्न जीवन-मूल्यों के प्रति समझ भी उत्पन्न कर सकेगी।

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक [1][**संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य**] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में**

व्यक्ति की गरिमा और [2][**राष्ट्र की एकता**

और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

---

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) ''राष्ट्र की एकता'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

© NCERT not to be republished

विषय-सूची

आमुख			*iii*
भूमिका			*vii*
1. गिल्लू	–	महादेवी वर्मा	1
2. स्मृति	–	श्रीराम शर्मा	8
3. कल्लू कुम्हार की उनाकोटी	–	के. विक्रम सिंह	18
4. मेरा छोटा-सा निजी पुस्तकालय	–	धर्मवीर भारती	27
5. हामिद खाँ	–	एस. के. पोट्टेकाट	35
6. दिये जल उठे	–	मधुकर उपाध्याय	41
लेखक परिचय			49

© NCERT not to be republished

भारत का संविधान

भाग 4क

नागरिकों के मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य – भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके; और

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

© NCERT not to be republished